रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 2005/पौष 11, 1926

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 2005/PAUSA 11, 1926

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 1(अ).— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत दुर्घटनाओं की सूचनाओं की तामिल के प्ररूप और समय के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दुर्घटनाओं की सूचना (सूचना की तामिल का प्ररूप और समय) नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;

(ख) "निरीक्षक" से अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. दुर्घटनाओं की सूचना.- (1) यदि विद्युत के उत्पादन, पारेषण, प्रदाय या प्रयोग के संबंध में अथवा किसी व्यक्ति की विद्युत लाइनों या अन्य संक्रम के किसी भाग के संबंध में कोई दुर्घटना

होती है और उस दुर्घटना के फलस्वरूप मानव या पशु जीवन को हानि अथवा किसी मनुष्य या पशु को कोई क्षति होती है या होनी संभाव्य है तो ऐसा व्यक्ति या उत्पादन कंपनी का कोई प्राधिकृत व्यक्ति या अनुज्ञप्तिधारी जो कनिष्ठ इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो, घातक दुर्घटना के होने की जानकारी के 24 घंटे के भीतर तार रिपोर्ट और घातक तथा सभी अन्य दुर्घटनाओं के होने की जानकारी के 48 घंटे के भीतर **प्ररूप क** में लिखित रूप में रिपोर्ट निरीक्षक को भेजेगा । यदि उत्पादन कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी/अनुज्ञप्तिधारी या अन्य संबद्ध व्यक्ति की जानकारी में दुर्घटना आती है तो जहां संभव हो टेलीफोन संदेश भी निरीक्षक को तुरंत दिया जाना चाहिए ।

(2) दुर्घटना की सूचना के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षकों, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना, अग्निशामक दल और निकटतम अस्पताल के टेलीफोन नं0, फैक्स नं0 और पते उत्पादन केन्द्र, उप केन्द्र, परिवेष्टित उप केन्द्र/स्विचन केन्द्र में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे और मध्यम वोल्टता(एम वी)/उच्च वोल्टता(एच वी)/अतिरिक्त उच्च वोल्टता(ईएचवी) संस्थापनों के भार साधक/स्वामी के कार्यालय में रखे जाएंगे ।

प्ररूप क

विद्युत दुर्घटनाओं की रिपोर्ट देने के लिए प्ररूप

1. दुर्घटना की तारीख और समय ।

2. दुर्घटना का स्थान ।
(ग्राम/नगर, तहसील/थाना,जिला और राज्य)

3. प्रदाय का तंत्र और वोल्टता (क्या अतिरिक्त उच्च वोल्टता(ईएचवी)/उच्च वोल्टता(एचवी)/निम्न वोल्टता(एलवी) लाईन, उप केन्द्र/उत्पादन केन्द्र/उपभोक्ता के संस्थापन/सेवा लाईन/अन्य संस्थापन है) ।

4. उत्पादन कंपनी के भार साधक अधिकारी/अनुज्ञप्तिधारी जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई, का पदाभिधान ।

5. विद्युत के स्वामी/उपयोक्ता जिसके परिसर में दुर्घटना हुई, का नाम ।

6. पीड़ित(पीड़ितों) के ब्यौरेः

(क) मनुष्य

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	पीड़ित का लिंग	पूरा डाक पता	अनुमानित आयु	घातक/अघातक
1	2	3	4	5	6	7

(ख) पशु

क्रम सं.	पशु(पशुओं) का वर्णन	संख्या (संख्यांएं)	स्वामी (स्वामियों) का (के) नाम	स्वामी (स्वामियों) का (के) पता(पते)	घातक/अघातक
1	2	3	4	5	6

7. यदि पीड़ित प्रदायकर्ता का कर्मचारी है/हैं :-
   (क) ऐसे व्यक्ति(व्यक्तियों) का पदाभिधान ;
   (ख) लिया गया कार्य, यदि कोई हो, का संक्षिप्त वर्णन ;
   (ग) क्या ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया गया था ।

8. यदि पीड़ित अनुज्ञप्तिधारी ठेकेदार का (के) कर्मचारी है (हैं),-
   (क) क्या पीड़ित (पीड़ितों) के पास कोई विद्युत कर्मकार का अनुज्ञा पत्र, पर्यवेक्षक का सक्षमता प्रमाण पत्र था (थे) ?
   यदि हां, तो संख्यांक और जारी करने की तारीख और जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम दें ;

   (ख) उस व्यक्ति का नाम और पदाभिधान जिसने पीड़ित(पीड़ितों) को कर्तव्य सौंपे ।

9. उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र में दुर्घटना की दशा में क्या कार्य करने के लिए अनुज्ञा पत्र (पीटीडब्लू) लिया गया था ?

10. (क) क्षतियों की प्रकृति और परिमाण, जैसे-घातक/शरीर के किसी भाग की निःसशक्तता (स्थायी या अस्थायी) या जलना या अन्य क्षतियों का पूर्णतः वर्णन करें ।

    (ख) घातक दुर्घटना की दशा में, क्या शव परीक्षण किया गया था ?

11. दुर्घटना के विस्तृत हेतुक दें ।
    (इस प्ररूप से उपाबद्ध पृथक पन्ना में दिए जाएं)

12. दुर्घटना के होने के ठीक पश्चात् प्राथमिक उपचार, चिकित्सीय परिचर्या आदि के बारे में की गई कार्रवाई (ब्यौरे दें) ।

13. क्या संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस थाना को दुर्घटना की सूचना दे दी गई है (यदि ऐसा है तो ब्यौरे दें)।

14. संभव सीमा तक दुर्घटना के संबंध में साक्ष्य के बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम ।

15. मारे गए और क्षतिग्रस्त व्यक्ति (व्यक्तियों) की सहायता करने वाले, पर्यवेक्षण करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) का (के) नाम और पदाभिधान ।

16. क्या सुरक्षा उपस्कर उस व्यक्ति(उन व्यक्तियों) के लिए दिए गए थे या उसके (उनके) द्वारा उपयोग में लाए गए थे, जिसे (जिनको) यह दुर्घटना हुई (जैसे-रबड़ के दस्ताने, रबड़ की चटाई, सुरक्षा बैल्ट और सीढ़ियां आदि ।) ?

17. क्या अयोगात्मक स्विच और अन्य छेदनात्मक युक्तियां, सेक्शनों को उन पर कार्यकरण के लिए चेतना शून्य करने के लिए प्रयोग में लाई गई थी ? क्या कार्यकरण सेक्शन कार्य के स्थल पर भूयुक्त किया गया था ?

18. क्या सजीव लाईनों पर कार्य प्राधिकृत व्यक्ति(व्यक्तियों) द्वारा लिया गया था ? यदि ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम और पदाभिधान दिए जाएं ।

19. क्या कृत्रिम पुनर्जीवन उपचार उस व्यक्ति(उन व्यक्तियों) को दिया गया था जिसे (जिनको) विद्युत दुर्घटना हुई थी ? यदि हां तो उसके अभित्यजन के पूर्व कितने समय तक यह जारी रहा था ?

20. दुर्घटना के समय उपस्थित और प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों के नाम और पदाभिधान।

21. कोई अन्य सूचना/टिप्पणियां ।

हस्ताक्षर
नाम
पदाभिधान
रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति
का पता

स्थानः
समयः
तारीखः

[फा. सं. 23/2/2004-आर एंड आर]
अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2004

G.S.R. 1(E).—In exercise of the powers conferred by clause (w) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules regarding the form and time of service of notices of electrical accidents, namely:

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Intimation of Accidents (Form and Time of service of Notice) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
   (a) "Act" means the Electricity Act, 2003;
   (b) "Inspector" means the Chief Electrical Inspector or the Electrical Inspector appointed under sub-section (1) of section 162 of the Act.

(2) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Intimation of accidents.- (1) If any accident occurs in connection with the generation, transmission, supply or use of electricity in or in connection with, any part of the electric lines or other works of any person and the accident results in or is likely to have resulted in loss of human or animal life or in any injury to a human being or an animal, such person or any authorized person of the generating company or licensee, not below the rank of a Junior Engineer or equivalent shall send to the Inspector a telegraphic report within 24 hours of the knowledge of the occurrence of the fatal accident and a report in writing in **Form A** within 48 hours of the knowledge of occurrence of fatal and all other accidents. Where possible a telephonic message should also be given to the Inspector immediately, if the accident comes to the knowledge of the authorized officer of the generating company/licensee or other person concerned.

(2) For the intimation of the accident, telephone numbers, fax numbers and addresses of Chief Electrical Inspector or Electrical Inspectors, District Magistrate, police station, Fire Brigade and nearest hospital shall be displayed at the conspicuous place in the generating station, sub-station, enclosed sub-station/switching station and maintained in the Office of the in-charge/owner of the Medium Voltage (MV)/High Voltage (HV)/Extra High Voltage (EHV) installations.

Form A

Form for reporting electrical accidents

1. Date and time of accident.
2. Place of accident.
   (Village/Town, Tehsil/Thana, District and State).
3. System and voltage of supply (Whether Extra High Voltage (EHV)/High Voltage (HV)/Low Voltage (LV) Line, sub-station/generation station/consumer's installations/service lines/other installations).
4. Designation of the Officer-in-charge of the generating company/licensee in whose jurisdiction the accident occurred.

02 GI/05-2

5. Name of owner/user of energy in whose premises the accident occurred.
6. Details of victim(s):

(a) Human

Sl.No	Name	Father's Name	Sex of victim	Full Postal address	Approximate age	Fatal/non-fatal
1	2	3	4	5	6	7

(b) Animal

Sl.No.	Description of animal(s)	Number(s)	Name(s) of owner(s)	Address(es) of owner(s)	Fatal/non-fatal
1	2	3	4	5	6

7. In case the victim(s) is/are employee(s) of supplier:-

(a) designation of such person(s);
(b) brief description of the job undertaken, if any;
(c) whether such person/persons was/were allowed to work on the job.

8. In case the victim(s) is/are employee(s) of a licensed contractor, -

(a) did the victim(s) possess any electric workmen's permit(s), supervisor's certificate of competency?
If yes, give number and date of issue and the name of issuing authority;
(b) name and designation of the person who assigned the duties of the victim(s).

9. In case of accident in the system of the generating company/licensee, was the permit to work (PTW) taken?

10. (a) Describe fully the nature and extent of injuries, e.g. , fatal/disablement (permanent or temporary) of any portion of the body or burns or other injuries.
(b) In case of fatal accident, was the post mortem performed?

11. Detailed causes leading to the accident.
(To be given in a separate sheet annexed to this form).

12. Action taken regarding first aid, medical attendance etc. immediately after the occurrence of the accident (give details).

13. Whether the District Magistrate and Police Station concerned have been informed of the accident (if so, give details).

14. Steps taken to preserve the evidence in connection with the accident to extent possible.

15. Name and designation(s) of the person(s) assisting, supervising the person(s) killed or injured.

16. What safety equipments were given to or used by the person(s) who met with this accident (e.g. rubber gloves, rubber mats, safety belts and ladders etc.)?

17. Whether isolating switches and other sectionalizing devices were employed to deaden the sections for working on the same? Whether working section was earthed at the site of work?

18. Whether the work on the live lines was undertaken by authorised person(s)? If so, the name and the designation of such person(s) may be given.

19. Whether artificial resuscitation treatment was given to the person(s) who met with the electric accident? If yes, how long was it continued before its abandonment?

20. Names and designations of persons present at, and witnessed, the accident.

21. Any other information/remarks.

Signature
Name
Designation
Address of the person reporting

Place:
Time:
Date:

[F. No. 23/2/2004-R&R]
AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.